छात्रावास मेस कटौती के नियम

मासिक मेस शुल्क एवं मेस कटौती सेवा शुल्क का भुगतान निम्न सारिणी के अनुसार किया जाएगा :

क्र.	सारिणी	प्रति छात्र/छात्रा 5% जीएसटी सहित मासिक शुल्क (रूपये)	
	विवरण	अंको में	शब्दों में
1.	शाकाहारी भोजन के लिए प्रति छात्र/छात्रा मासिक मेस शुल्क	2690/–	दो हजार छह सौ नब्बे मात्र
2.	केवल मेस कटौती के पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाने वाला प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह सेवा शुल्क	90/–	नब्बे मात्र

छात्र/छात्राओं को मेस कटौती निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी –

1. छात्र/छात्रा छात्रावास छोड़ने से पहले मेस कटौती का आवेदन मुख्य छात्रावास अधीक्षक से अग्रेषित कराते हुए (कार्यालयीन समय में) ठेकेदार के पास जमा करेंगे।
2. छात्र/छात्रा को मेस कटौती का लाभ (संबंधित छात्र/छात्रा को मेस शुल्क के स्थान पर सेवा शुल्क का भुगतान करना है।) सम्पूर्ण अनुपस्थित अवधि के लिए दिया जाएगा (यदि यह अवधि 03 दिन से अधिक हो)। आधे दिन की मेस कटौती विचार योग्य नहीं होगी और पूरे दिन के मेस शुल्क का भुगतान करना होगा। मेस कटौती की अवधि के लिए सम्पूर्ण अवधि के लिए स्वीकृत दर के अनुसार मेस शुल्क के स्थान पर सेवा शुल्क का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा।
3. बोली लगाने वाला (ठेकेदार) के संबंधित माह के अंतिम देयक से मेस कटौती की राशि घटा दी जाएगी एवं तद्नुसार सेवा शुल्क जोड़ा जाएगा। अंतर की राशि मुख्य छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं को वितरित की जाएगी ।
4. स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर (मुख्य छात्रावास अधीक्षक के संतुष्ट होने पर) मुख्य छात्रावास अधीक्षक के पूर्व अनुमोदन से छात्र/छात्राओं को मेस कटौती प्रदान की जाएगी।
5. यदि छात्र/छात्रा छात्रावास में रहता है और भोजन आदि छात्रावास मेस में नहीं करता है, तो उसको मेस कटौती विचार योग्य नहीं होगी।
6. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को अस्वस्थता के दौरान मुख्य छात्रावास अधीक्षक की अनुशंसा पर ठेकेदार सामान्य दर पर हल्का भोजन उपलब्ध कराएगा और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा और तद्नुसार मेस कटौती अनुमन्य नहीं होगी।
7. दिनांक 01 फरवरी, 2018 से मेस कटौती की अनुमति सिर्फ मासिक आधार पर दी जाएगी। मेस कटौती में कोई भी अग्रसारण नहीं होगा।

8. यदि पूर्व सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत अग्रेषित, पर्याप्त समय पहले प्राप्त नहीं होती है, तो मेस कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती।
9. यदि छात्र/छात्रा ने मेस कटौती के लिए आवेदन कर दिया है और वह मेस में भोजन करते और/या अपने कमरे में भोजन करते पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
10. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी ऐसे छात्र/छात्रा के कमरे में भोजन ले जाते/पहुंचाते पाया जाता है, जिसने मेस कटौती के लिए आवेदन दिया है, तो उन दोनों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
11. **तद्नुसार मेस कटौती के लिए निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जाएगी :**

(अ) मेस कटौती के लिए छात्र/छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरे गये सभी आवेदन संबंधित विभाग द्वारा विधिवत अग्रेषित होना चाहिए एवं पर्याप्त समय पहले, परन्तु छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास छोड़ने की तिथि के बाद नहीं, छात्रावास कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। आपात या तात्कालिक स्थितियों को छोड़कर जिसमें अधीक्षक और/या प्रशासनिक अधीक्षक की अनुशंसा पर और संतुष्ट होने पर मुख्य छात्रावास अधीक्षक देरी होने से छूट प्रदान कर सकता है।

(ब) मेस कटौती के लिए प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों को ठेकेदार यथाशीघ्र एवं प्रतिदिन एकत्र करेगा। मेस कटौती के लिए प्राप्त आवेदनों पर टीप लिखकर ठेकेदार उसे संबंधित अधीक्षक और/या प्रशासनिक अधीक्षक को अग्रेषित करेगा। छात्रावास कार्यालय भी ऐसे आवेदनों का विवरण पंजी में दर्ज करेगा तथा संबंधित अधीक्षक और/या प्रशासनिक अधीक्षक और मुख्य छात्रावास अधीक्षक को अग्रेषित करेगा। तदोपरान्त मुख्य छात्रावास अधीक्षक ऐसे सभी आवेदनों को ठेकेदार को लौटा देगा।

(स) मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा अग्रेषित ऐसे सभी आवेदनों को ठेकेदार देयक के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

प्रो. एल.पी. पटैरिया
(मुख्य छात्रावास अधीक्षक)